



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012025-260414
CG-DL-E-23012025-260414

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 415]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 23, 2025/माघ 3, 1946

No. 415]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 23, 2025/MAGHA 3, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2025

सं. 08/2025 – केंद्रीय कर

का.आ. 419(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2017-18 या 2018-19 या 2019-20 या 2020-21 या 2021-22 या 2022-23 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 47 में निर्दिष्ट विलंब फीस की रकम, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जिनके उक्त वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप जीएसटीआर -9 में वार्षिक विवरणी के साथ प्ररूप जीएसटीआर -9 में सुलह विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित था लेकिन प्ररूप जीएसटीआर -9 में उक्त विवरणी के साथ उसे प्रस्तुत करने में असफल रहे और जो उक्त विवरण तत्पश्चात 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले प्ररूप जीएसटीआर

-9ग प्रस्तुत करें , जो कि उक्त वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप जीएसटीआर -9 प्रस्तुत करने की तारीख तक उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस के आधिक्य में है, का अभित्यजन करती है।

परंतु उक्त वित्तीय वर्षों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9ग को देरी से प्रस्तुत करने के संबंध में पहले से भुगतान की गई विलंब फीस की कोई वापसी उपलब्ध नहीं होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी-20001/15/2024-जीएसटी]

रौशन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2025

No. 08/2025 – CENTRAL TAX

S.O. 419(E).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby waives the amount of late fee referred to in section 47 of the said Act in respect of the return to be furnished under section 44 of the said Act, for the financial years 2017-18 or 2018-19 or 2019-20 or 2020-21 or 2021-22 or 2022-23, which is in excess of the late fee payable under section 47 of the said Act upto the date of furnishing of FORM GSTR-9 for the said financial year, for the class of registered persons, who were required to furnish reconciliation statement in FORM GSTR-9C along with the annual return in FORM GSTR-9 for the said financial year but failed to furnish the same along with the said return in FORM GSTR-9, and furnish the said statement in FORM GSTR-9C, subsequently on or before the 31st March, 2025:

Provided that no refund of late fee already paid in respect of delayed furnishing of FORM GSTR-9C for the said financial years shall be available.

[F. No. CBIC-20001/15/2024-GST]

RAUSHAN KUMAR, Under Secy.